न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
104 / 2023	22.12.2023	14.02.2024

अनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्यामलाल जाति औझा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. जीतमल पिता अमरचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. गोपाल लाल पिता मांगीलाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. राजेन्द्र कुमार पिता राधाकिशन गौड जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. गेहरू पिता अमरचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. सुनिल पुत्र छगनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. किशनलाल पुत्र माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. देवीलाल पिता लालुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड़ — प्रार्थी
एक तरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:44 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी [illegible] के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 [illegible] निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील [illegible] जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 1261 की अभिलिखित [illegible] संख्या 1978 रकबा 0.24 [illegible] कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, औ[illegible] अप्रार्थीगण आराजियात [illegible] के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की

मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6, 7 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। आज दिनांक 14.02.2024 को विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 1261 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1978 रकबा 0.24 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकैन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:44 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन